A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 04 / अपील / 2023 (GCMS No. 2023 / 12)	16.01.2023	12.02.2024

महादेव आ. छीतरलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम आमली, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कमलेश पत्नी सुरेश जाति बैरवा नि. आमली
   हाल जवाहरनगर, तहसील एवं जिला बून्दी
2. अभिषेक आ. सुरेश जाति बैरवा, नि. आमली
   हाल जवाहरनगर, तहसील एवं जिला बून्दी
3. रवि आ. सुरेश जाति बैरवा, नि. आमली
   हाल जवाहरनगर, तहसील एवं जिला बून्दी
4. प्रीति पुत्री सुरेश जाति बैरवा, नि. आमली हाल जवाहरनगर,
   अवयस्क द्वारा प्राकृतिक तहसील एवं जिला बून्दी
5. कांतिबाई पुत्री गंगाराम पत्नी कालू जी जाति बैरवा,
   निवासी इन्द्रपुरिया, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
6. मंगली बेवा गंगाराम जाति बैरवा, नि. आमली
   हाल जवाहरनगर, तहसील एवं जिला बून्दी
7. शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा, नि. आमली
   हाल जवाहरनगर, तहसील एवं जिला बून्दी
8. द्वारका पुत्री गंगाराम जाति बैरवा, नि. आमली
   हाल जमीतपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
9. गोपाली पुत्री छीतर जाति बैरवा, नि. आमली
   हाल उलेडा, तहसील एवं जिला बून्दी
10. गोबरीलाल आ. गंगाराम जाति बैरवा, नि. आमली
    हाल जवाहरनगर, तहसील एवं जिला बून्दी
11. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री महेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं.1 लगायत 10 की ओर से श्री जितेन्द्र कोठारी, एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं.11 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 459 दिनांक 27.05.2002 ग्राम सालरिया से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण ग्राम सालरिया में विस्थित आराजी के खातेदार छीतर पुत्र रूपा जाति बैरवा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 04/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/12 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 289 रकबा 1.2765 हैक्टेयर वाके ग्राम सालरिया, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है जिसके पूर्व खातेदार छीतर आ. रूपा जाति चमार (बैरवा) निवासी आमली अंकित थे। खातेदार छीतर का 1999 से पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसके वारिसान का नाम अंकन नहीं हुआ था। स्वर्गीय छीतर के एकमात्र पुत्र गंगाराम था, जो उक्त आराजी पर बतौर कानूनी रूप से खातेदार के रूप में काबिज रहा। उक्त गंगाराम ने अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिये उक्त भूमि को दिनांक 24.12.1999 को अपीलांट को बेचान कर दिया था और अपीलांट द्वारा गंगाराम को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि 215800/– अदा करके भूमि का मौके पर कब्जा संभाल लिया था तथा गंगाराम द्वारा निष्पादित दस्तावेज के आधार पर उसके जीवनकाल से ही तथा उसकी मृत्यु के बाद भी अपीलांट निरन्तर उक्त आराजी पर खुलमखुल्ला रूप से काबिज काश्त रहा है जिसकी जानकारी गंगाराम के परिवारजनों को भी थी। रेस्पो. द्वारा अपीलांट से कब्जा प्राप्त करने के अधिकार समय व्यतीत होने

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

के साथ ही समाप्त हो गये है। फिर भी रेस्पो. के मन बदनियति आ जाने से उक्त आराजी का इंतकाल नं. 459 दिनांक 27.5.2022 को अपने नाम खुलवा लिया है जो निरस्त किया जावे। उक्त इंतकाल खुलने की जानकारी अपीलांट को नहीं थी, किन्तु दिसम्बर,2022 में उक्त भूमि को बेचान करने का प्रयास करने व रेस्पो. द्वारा भूमि उनके नाम दर्ज होना बताये जाने पर अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी की और उसी दिनांक 12.12.22 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया, नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होते ही यह अपील मध्य अवधि पेश गई। यदि फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 10 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही है। अपीलांट को नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानीं चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु 7 माह. के विलम्ब से पेश की गई है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि खातेदारान जाति से बैरवा है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है। खातेदार छीतर आ. रूपा कौम बैरवा के देहान्त के बाद उनके खाते की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरकरण खातेदार छीतर के विधिक वारिसान रेस्पो.सं.1 लगायत 10 के पक्ष में कानून के तहत खोले जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की गई। अपीलांट द्वारा अपील में रेस्पो. के खाते की उक्त कृषि भूमि उसको बेचान किया जाना बताया गया है किन्तु इस संबंध में अपीलांट की ओर से कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश नहीं किया गया। यदि अपीलांट के पास कोई अनरजिस्टर्ड दस्तावेज भी हो, तो भी ऐसे अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण नहीं होता है और न ही ऐसे दस्तावेज के आधार पर विधि सम्मत तरीके से तस्दीक किये गये विरासत के नामान्तरकरण को चुनौती दी जा सकती है। वादग्रस्त आराजी के खातेदारान् अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अपीलांट अनुसूचित जन जाति का सदस्य है। अनुसूचित जाति के खातेदारान की कृषि भूमि पर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील विधि विरूद्ध होने से खारिज की जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपील का परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। ऐसे में अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब अवधि का शमन किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम सालरिया, तहसील बून्दी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 289 का खातेदार छीतर पुत्र रूपा जाति बैरवा था। खातेदार छीतर के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2022 को अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि गंगाराम द्वारा उक्त आराजी अपीलांट को दिनांक 24.12.1999 को बेचान की हुई है, ऐसे में रेस्पोडेंटस के पक्ष में तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध होने से खारिज किया जावे, जबकि रेस्पो.संख्या 1 लगायत 10 का मानना है कि अपीलांट के पास कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नहीं है। ऐसे में मृतक खातेदार के वारिसान के पक्ष में खोला गया फोती नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट की ओर से वादग्रस्त कृषि भूमि को क्रय किये जाने के संबंध में, पत्रावली पर कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उपलब्ध नहीं है। अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खातेदारी अधिकारों का अंतरण नहीं हो सकता है। वैसे भी खातेदारान अनुसूचित जाति के सदस्य एवं अपीलांट अनुसूचित जन जाति का सदस्य होने से उक्त कृषि भूमि का विक्रय यदि अनरजिस्टर्ड विक्रयपत्र से किया जाता है तो ऐसा बेचान अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हित एवं अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु ही बनाई गई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक FISCAL PROCEDING है, जिसमे किसी भी तरह से स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण का प्रश्न है तो इसमे कोई वैधानिक त्रुटि होना प्रतीत नही होती है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी